

No. HQ/PIO/RTI/49/15

Dt: 20.03.2015


श्रीमति कमला देवी,
पत्नी श्री राम प्रकाश शुक्ला,
विकास कालोनी भाग-1 नया वाईपास तिराहा,
पक्का बाग इटावा.

Sub: Information under RTI Act- 2005.

Ref: Your application dt. 14.01.2015, received in this office on 27.01.2015.

संबंधित विभाग से प्राप्त सूचना निम्नलिखित है:-

आप द्वारा कन्सलटेन्ट द्वारा बनाये गये ग्राम-उमरी, परगना व जिला औरैया के एवार्ड की प्रति की मांग की गई है। इस सम्बन्ध में यह अवगत कराना है कि कन्सलटेन्ट द्वारा जो आलेख तैयार किये जाते थे वह सक्षम प्राधिकारी को संकलित सूचना उपलब्ध कराने के उद्देश्य से होते थे। मूल एवार्ड के निर्मित किये जाने से पूर्व विभिन्न प्रकार की सूचनायें सक्षम अधिकारी की सहायता हेतु मौखिक/लिखित रूप में प्रस्तुत की जाती थीं। चूंकि एवार्ड की घोषणा हेतु रेलवे संशोधित अधिनियम-2008 की धारा 20 F के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी ही अधिकृत हैं अतएवं एवार्ड की घोषणा सक्षम प्राधिकारी द्वारा की जाती है जो मूल अभिलेख होता है। अतः ग्राम उमरी के एवार्ड दिनांक 19.04.2012 जिसका कुल मूल्य रु. 8157080/- है तथा घोषित रकबा 23974 हे. है, की घोषणा उनके द्वारा की गई। इस घोषणा के उपरांत जानकारी उपलब्ध कराने हेतु सहायतार्थ तैयार किये आलेख/सूचना को अभिलेख के रूप में रखे जाने का कोई औचित्य ना होने के कारण कार्यालय में नहीं रखा गया है। आपको, आपके पुत्र के माध्यम से मा. उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 29.08.2012 के अनुपालन में, ग्राम उमरी के मूल एवार्ड दिनांक 19.04.2012 की प्रति के 10 अर्थात् पृष्ठ 1 of 10 से 10 of 10 तक जिसका कुल मूल्य 8157080/- था को पूर्व में ही माह सितम्बर 2012 में उपलब्ध कराये जा चुके हैं।


(Rajiv Bhatnagar)
DGM/PIO

Copy to:- CPM/Tundla

प्रेषण
DESPATCH

28/3